यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्स: (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/33/2020 **दिनांक** : 07.03.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

आरबीआई द्वारा यस बैंक पर प्रतिबंध

आप सभी को ज्ञात होगा कि निजी क्षेत्र के यस बैंक में विभिन्न समस्याओं के चलते आरबीआई द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस विषय में एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा 6.3.2020 को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसका अनूदित सार सभो इकाईओं एव सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

सी.एच. वेंकटचलम्, महामंत्री, ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति **दिनांक 6.3.2020**

यस बैंक का पतन – आरबीआई जवाबदेह और जिम्मेवार है
आरबीआई को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई – पीसीए के तहत लाने का समय
यस बैंक के शीर्ष अधिकारियों को आपराधिक कानून के तहत दंडित किया जाना चाहिए
यस बैंक का एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा अधिग्रहण किया जाना चाहिए
सभी निजी बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने की जरूरत है

मुश्किल से एक महीने पहले, बजट की पूर्व संध्या पर सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में, डॉ0 कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सरकार की ओर से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किए गए एक रूपये के परिणामस्वरूप 23 पैसे का नुकसान हुआ जबकि निजी बैंक में निवेश किए गए उसी एक रूपये से 9.6 पैसे का लाभ होगा। यह सरकार की इस धारणा पर जोर देने के लिए था कि निजी क्षेत्र के बैंक अधिक कार्य–कुशल और लाभदायक हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बेकार और घाटा बढ़ाने वाले हैं। यस बैंक की कार्यकुशलता कहां है ?

अब खबर आती है कि आरबीआई ने सार्वजनिक हित में यस बैंक पर मोरेटोरियम (Moratorium) लगा दिया है और जल्द ही बैंक का पुर्नगठन किया जायेगा। तथ्य यह है कि यस बैंक विभ्रम के मुद्दों, गैर–प्रकटीकरण, बढ़ते हुए खराब ऋणों, अपर्याप्त पूंजी, पूंजी संवर्धन में असमर्थता, आदि सहित विभिन्न समस्याओं से पीड़ित रहा है। लेकिन आरबीआई ने अपना काफी समय लिया और बहुत नुकसान के बाद, इसने मोरेटोरियम की घोषणा की है जिससे जमाकर्ताओं में घबराहट पैदा हो रही है। आरबीआई, नियामक होने के नाते, यस बैंक में जारी घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है। यदि आज, कुप्रबंधन के कारण, बैंक को बंद करना पड़ा, तो आरबीआई खुद को जिम्मेदारी से नहीं छुड़ा सकता। हर बार आरबीआई इस तरह के बैंक पतनों को रोकने के लिए समय पर कदम

जारी पृष्ठ 2

उठाने में विफल हो रहा है। यूनाईटेड वेस्टर्न बैंक और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के दौरान यही बात देखी गई थी। पुनरावृत्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट आई जिनमें जबरदस्त चूक दिखाई गई थीं और फिर भी आरबीआई ने कोई कार्यवाही नहीं की। वही बात अब हुई है। **सरकार को आरबीआई को जवाबदेह और जिम्मेवार बनाना चाहिए।** यह अजीब है कि आरबीआई विभिन्न बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई – पीसीए प्रतिबंधों के तहत डाल रहा है। वास्तव में, हमें लगता है कि **सरकार को आरबीआई को पीसीए मानदंडों के तहत लाना चाहिए।**

इसी तरह, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि बैंक सार्वजनिक धन और कड़ी मेहनत से अर्जित बचतों से व्यापार करते हैं। यदि बैंक बैंकों का गलत ढंग से चलाते हैं और कुप्रबंध करते हैं, तो **बैंक के शीर्ष अधिकारियों,** जो इसके लिए जिम्मेदार हों, **पर आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए** और कठोर सजा दी जानी चाहिए। उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए।

साथ ही, जमाकर्ताओं और बैंक के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए, **यस बैंक को तुरंत सार्वजनिक क्षेत्र के तहत लाया जाना चाहिए।** एक के बाद एक निजी बैंक, जो सरकार द्वारा महिमामंडित किए जा रहे हैं, विफल हो रहे हैं। यह उचित समय है कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए और 1969 को दोहराना चाहिए – **सभी निजी बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के तहत लाया जाना चाहिए।** जनता का धन जनता के कल्याण के लिए है, न कि निजी लूट के लिए।

ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

हम माँग करते हैं

- यस बैंक के शीर्ष अधिकारियों को दंडित किया जाये जो बैंक की विफलता के लिए जिम्मेदार हैं
- यस बैंक में चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित की जाये
- यस बैंक के पतन के लिए आरबीआई को जिम्मेवार और जवाबदेह बनाया जाये
- आरबीआई को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई – पीसीए के तहत लाया जाये
- यस बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा अधिग्रहण किया जाये
- सभी निजी बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जाना चाहिए

एआईबीईए – यूपीबीईयू